Public

एमनेस्टी इण्टरनेशनल

मृत्युदण्ड के इस्तेमाल पर अभिस्थगन

संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा संकल्प 62/149

18 दिसंबर 2007 **AI Index: ACT 50/020/2007**

18 दिसंबर, 2007 को, संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने ''अधिस्थगन पर निष्पादन'' के प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए भारी समर्थन के साथ एक संकल्प पारित किया : पक्ष में 104 मत, विपक्ष में 54 और 29 ने स्वयं को तटस्थ रखा।

संकल्प 62/149 का पाठ निम्न अनुसार है, जिसका एमनेस्टी इन्टरनेशनल द्वारा हिन्दी में अनुवाद किया गया है :

साधारण सभा,

संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में निहीत प्रयोजन एवं सिद्धान्तों के निर्देशन में महासभा ने मानव अधिकारों [1] की विश्वव्यापी घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों [2] पर अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता और बालक के अधिकारों [3] पर सम्मेलन पर पुर्नविचार किया गया।

मानव अधिकार आयोग द्वारा पिछले दशक में मृत्यु दण्ड को अपनाए जाने संबंधी प्रश्न के संकल्पों पर भी निरन्तर सभी सत्रों मे पुर्नविचार किया गया, जिसके तहत, पिछले संकल्प 2005/59 में, उन देशों से जो अभी भी मृत्यु दण्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आयोग ने कहा

गया था कि वे इसे पूर्ण रूप से समाप्त करें और इसी बीच इसके निष्पादन पर अभिस्थगन स्थापित किया जाए।

इसके बाद मृत्यु दण्ड के प्रश्न पर पूर्व मानव अधिकार द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण परिणामों और क्या मानव अधिकार परिषद इस मुद्दे पर कार्य जारी रख सकती है, पर पुर्नःविचार हुआ,

इस पर विचार करते हुए कि मृत्यु दण्ड मानवी गरिमा को क्षति पहुंचाता है और यह स्वीकार करते हुए कि मृत्यु दण्ड के इस्तेमाल पर अभिस्थगन से मानव अधिकारों की अभिवृद्धि और प्रगतिकारी विकास में सहायता मिलेगी और मृत्यु दण्ड के निवारक मूल्यों के कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है और यह कि मृत्यु दण्ड को लागू किए जाने में न्याय की हत्या या न्याय के असफल रहना अनुत्क्रमणीय तथा असुधार्य है।

बहुत से देशों द्वारा, मृत्यु दण्ड को समाप्त कर अनेक मामलों में इसके निष्पादन पर अभिस्थगन लागू किए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए,

1. मृत्यु दण्ड के निरन्तर इस्तेमाल के बार में अपनी गहरी रूचि प्रदर्शित करते है;

2. उन सभी देशों से जो अभी भी मृत्यु दण्ड इस्तेमाल करते हैं, उनसे कहा जाए;

(a) अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का सम्मान करें जो उन व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी का प्रावधान करते हैं जो मृत्यु दण्ड का सामना कर रहे हैं, खास तौर पर वे न्यूनतम मानक जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 25 मई, 1984 के संकल्प 1984/50 में निहित हैं;

(b) महासचिव को मृत्यु दण्ड के इस्तेमाल से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करना तथा उन सुरक्षा प्रावधानों का पालन जो मृत्यु दण्ड का सामना करने वालो व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं;

(c) मृत्यु दण्ड के इस्तेमाल पर निरन्तर प्रतिबन्ध तथा उन अपराधों की संख्या कम करना जिसके लिए यह सुनाया जाता हैं;

(d) मृत्यु दण्ड के उन्मूलन के लिए निष्पादन पर अभिस्थगन की स्थापना;

3. उन देशों से जिन्होंने मृत्यु दण्ड को समाप्त कर दिया है, उनसे इसे पुनः प्रचलित न करने के लिए कहा जाए;

4. महासचिव से अनुरोध किया जाए कि वे साधारण सभा को इसके 63 वें सत्र में वर्तमान संकल्प को लागू किये जाने के संबंध में सूचना दें;

5. इसी कार्यसूची मद के अन्तर्गत इसके 63 वें सत्र में इस मामले पर विचार जारी रखने का निर्णय;

[1] संकल्प 217 ए (III).
[2] देखें संकल्प 2200 ए (XXI), संलग्नक.
[3] संयुक्त राष्ट्र, संधि श्रृंखला भाग 1577 संख्या 27531.
[4] आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, 2005 के अधिकृत दस्तावेज, पूरक संख्या 3 और शुद्धिपत्र (ई/2005/23 और शुद्धिपत्र 1 और 2), अध्याय II, खण्ड ए.

इण्टरनेशनल सेक्रेट्रिएट 1, ईस्टन स्ट्रीट, लंडन WC 1X ODW, युनाइटेड किंगडम